162

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2097–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–6–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 16/15–16/अपील

श्रीमती रचना गंगवानी पत्नी श्री मुरलीधर गंगवानी
निवासी ए–23, समाधियॉ कॉलोनी लश्कर ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार
वृत्त गिरवाई तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–4–2016 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही स्थगन हेतु धारा 52 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–6–2016 को आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर जबाव हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम गिरवाई के 52 व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिनमें से कुछ व्यक्ति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्ती का कोई भी कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि को आवेदिका को बेदखल कर दिया गया तब उसे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर स्थगन आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है इसलिये प्रकरण में स्थगन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से स्थगन नहीं दिये

जाने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसे हटाये जाने की कार्यवाही तहसील न्यायालय द्वारा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में आपत्तिकर्ता की आपत्ति होने से स्थगन आवेदन निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर